कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:-कार्यालय आदेश-:

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राज. विज्ञान/पीएससी 2018/2020-2021/1-708 दिनांक 18.03.2021 के द्वारा श्री मायाराम मीणा व्याख्याता राजनीति विज्ञान का पदस्थापन राउमावि बालापुरा, बोरडा, नैनवां, बूंदी (221642) किया गया परन्तु अभ्यर्थी श्री मायाराम मीणा पर भारतीय दण्डसंहिता की विभिन्न धाराओं में दर्ज आपराधिक प्रकरण नैतिक अधमता Moral turpitude की श्रेणी में होने से एवं विभाग स्तर पर गठित समिति की अनुशंषा के आधार पर श्री मायाराम मीणा को व्याख्याता के पद पर नियुक्ति प्रदान किया जाना उचित नहीं समझकर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/शिकायत-जांच/पीएससी-18/2020-21 दिनांक 27.05.21 द्वारा इनकी नियुक्ति निरस्त की गई।

श्री मायाराम मीणा व्याख्याता-राजनीति विज्ञान ने उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 6371/2021 मायाराम मीणा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की।

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के अन्तरिम निर्णय दिनांक 28.06.2021 की पालना में विभागीय आदेश दिनांक 27.05.21 को आगामी आदेश तक स्थगित रखते हुए व्याख्याता राजनीति विज्ञान का एक पद आरक्षित रखा जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः-शिविरा/मा./संस्था/सी-6/रावि/शिकायत-जांच/PSC-18/2020-21 दिनांकः- 04-08-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय)।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि /संबंधित कार्मिक।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर